फ्लाइट द्वारा कश्मीर यात्रा
श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग
पहलगाम, डलझील दर्शन

प्रथम यात्रा: 23 जून 2025
द्वितीय यात्रा: 20 अगस्त 2025
तृतीया यात्रा: 03 अक्टूबर 2025

यात्रा समय: 07 दिन

दिन	दर्शनीय स्थल
पहला दिन	दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट द्वारा प्रस्थान श्रीनगर एयरपोर्ट पर आगमन (रात्रि विश्राम श्रीनगर में)।
दूसरा दिन	श्रीनगर प्रसिद्ध डल लेक की सैर व शिकारा सवारी का आनंद लें, सेब का बगीचा, शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन, शालीमार बाग, निशात बाग, लाल चौक, बोटैनिकल गार्डन (रात्रि विश्राम श्रीनगर में)।
तीसरा दिन	सोनमर्ग (सोने की घाटी), थाजिवास ग्लेशियर, ज़ोजिला दर्रा, बालटाल घाटी, नीलगार्ड नदी, शून्य बिंदु, सिरबल चोटी, सिंध नदी, विशनसर झील (रात्रि विश्राम श्रीनगर में)।
चौथा दिन	गुलमर्ग में ड्रंग झरना, स्ट्रॉबेरी घाटी, अफरवाट शिखर, फूलों की घाटी, गोल्फ कोर्स (गर्मियों में), गोंडोला राइड करते हुए रात्रि विश्राम पहलगाम
पांचवा दिन	पहलगाम में चेनाब नदी, बेताब घाटी, अरु घाटी, चंदनवाड़ी जैसे प्रमुख स्थानों की सैर (रात्रि विश्राम पहलगाम में)।
छठवा दिन	पहलगाम से कटरा / जम्मू के लिए प्रस्थान व रात्रि में 3 A/C रेल द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान।
सातवां दिन	प्रात: दिल्ली मधुर स्मृतियों के साथ यात्रा समापन।

यात्रा किराया :- भोजन, चाय, नाश्ता, टैंपो ट्रेवलर, डबल बैड होटल रूम, हवाई जहाज (दिल्ली से श्रीनगर) द्वारा का किराया ₹**34,000**/- प्रति सवारी होगा। अग्रिम बुकिंग हेत ₹**10,000**/- प्रति यात्री नगद अथवा ऑनलाइन 'श्री शिव शंकर तीर्थ यात्रा' ऋषिकेश के S.B.I बैंक खाते में जमा करवा दें। शेष धनराशि यात्रा से पूर्व ली जायेगी। कृपया फ्लाइट यात्रा के नियम पेज न. 27 को ध्यान पूर्वक पढ़ कर ही सीट बुक कराये।

नोट: घोड़ा, पालकी, शिकारा की सवारी व उड़न खटोला (गोंडोला) का खर्च यात्री को स्वयं का होगा। उड़न खटोले की बुकिंग के लिए पूर्व सूचना अनिवार्य है। बुकिंग उपलब्धता के आधार पर ही सुनिश्चित की जाएगी।

फ्लाईट द्वारा यात्रा के नियम व सुविधाऐं

1. यात्रियों के लिए यात्रा में सुबह चाय, नाश्ता, दोपहर व रात्रि भोजन में दाल, एक सब्जी, चावल, रोटी रहेगी। शाम को चाय होगी। दाल-चावल व रोटी में देशी घी का प्रयोग होगा। सब्जी व नाश्ते में रिफाइंड का प्रयोग होगा। चावल बासमती बनेगा। समयानुसार यात्रियों को पापड़ व अचार भी भोजन के साथ दिया जायेगा। प्याज-लहसुन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा। भोजन शुद्ध शाकाहारी सात्विक बनाया जायेगा। यात्रा के दौरान तवा चपाती बनायी जायेगी व समय की उपलब्धता के अनुसार पूड़ी, पराठें व खिचड़ी भी बनायी जायेगी तथा यात्रा में समय अनुसार लंच पैकेट भी दिया जाएगा। रेल द्वारा लम्बी दूरी की यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था I.R.C.T.C के अधिकृत भोजनालय से की जायेगी। दोपहर एवं रात्रि भोजन के साथ एक पानी की बोतल दी जायेगी।
2. रात्रि विश्राम के लिए होटल का प्रबन्ध यात्रियों के लिए डबल बैड रूम में किया जाएगा लेकिन अगर कोई अलग से सिंगल बेड रूम लेने चाहे तो ऐसे में यात्री ₹8000 प्रति रूम अतिरिक्त भुगतान करके ले सकते है। A/C सुविधा केवल चलती बस में रहेगी पार्किंग में खड़ी बस में यह सुविधा नहीं होगी। यात्री अपने साथ असली पहचान पत्र (आधार कार्ड और वोटर आई.डी.) और 1 पासपोर्ट साईज फोटो अवश्य लावे
3. फ्लाइट मे यात्रि अपने पावर बैंक को हैंड बैग में ही रखे । कैंची, नेल कटर, चाकू, नारियल आदि सामान फ्लाइट में ना लेकर जाये। फ्लाइट के नियम के अनुसार प्रत्येक यात्री अपने साथ 15 किलो तक का एक सूटकेस या बैग जोकि चेक इन बैगेज में और 7 किलो तक का एक बैग हैंड बैगेज में लेके जा सकते हैं। यात्रियों के प्लेन के बोर्डिंग पास प्लेन में बैठने के 12 घंटे पहले यात्री को व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। यात्री अपने प्लेन की टिकट पर दिए गए टर्मिनल पर फ्लाइट उड़ने के समय से 3 घंटा पूर्व डिपार्चर गेट के सामने संस्था के प्रतिनिधि से मिले।
4. <u>यात्रा बुक होने के बाद यात्री अपनी सीट कैंसिल करवाता है तो अग्रिम धनराशि वापिस नहीं की जायेगी। दर्शनीय स्थलों का प्रवेश शुल्क यात्रियों द्वारा वहन किया जायेगा।</u>

यात्रियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

- यात्रा काल के दौरान आर्थिक, शारीरिक क्षति एवं सामान की जिम्मेदारी यात्री की स्वयं की होगी। व्यवस्थापक यात्रियों के नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। फ्लाइट और रेल के नियमों का पालन करें।
- यात्री को आवश्यकता पड़ने पर यात्री अपने खर्चे पर अस्पताल/डाक्टर की व्यवस्था अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। प्रत्येक यात्री टाईम टेबल के अनुसार चलने को बाध्य होंगे, यदि किसी कारणवश कोई ग्रुप से अलग होता है तो अगले स्टेशन/गन्तव्य पर यात्री अपने खर्चे पर पहुचेगें। सभी बसे दर्शनीय स्थलो की पार्किंग तक जाएगी वहा से मन्दिरों की दूरी नगण्य है इसलिए यात्री (स्वयं के खर्च से) पैदल अथवा रिक्शे से वहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार यात्रियों को पैदल कम चलना पड़ेगा।
- यदि कोई यात्री किन्हीं कारणवश अथवा अस्वस्थ होने की वजह से अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर घर वापिस आना चाहेगा तो उस अवस्था में यात्री को व्यवस्थापक की तरफ से केवल घर तक पहुंचाने हेतु रेलवे का स्लीपर क्लास का टिकिट ही दिया जायेगा। यह व्यवस्था भी केवल यात्रा समाप्ति के 5 दिन पूर्व तक लागू होगी। किराया वापसी किसी भी अवस्था में देय नहीं होगा।
- यात्रा में फ्लाइट लेट होने / बस खराब होने/ मौसम खराब होने/साप्ताहिक अवकाश/ बन्द/ रैली आदि के कारण सें किसी स्थान पर दर्शन ना होने पर व्यवस्थापक द्वारा कार्यक्रम में जो भी बदलाव किया जायेगा, यात्रियों से निवेदन है कि परिस्थतियों को समझते हुए उसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
- यात्रा काल में मैनेजर यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश करेंगे परन्तु फिर भी यात्रा के दौरान थोड़ी असुविधा होना स्वाभाविक है। उस समय 'परदेश नरेश कलेशन' की कहावत के अनुसार तपस्या की भावना से उसे सहन करें व मैनेजर को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।